न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–732 सन्– 2026

UPAD010059672026

फोटो भारतीया उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व. लुरखुर भारतीया, निवासी– ग्राम पुरवा खास (लंका), थाना औद्योगिक क्षेत्र, जनपद प्रयागराज।

----------प्रार्थी

बनाम

1. अविनाश पाण्डेय उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र स्व. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
2. अमन पाण्डेय उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र अविनाश पाण्डेय

निवासीगण– छरिबना, थाना औद्योगिक क्षेत्र, जनपद प्रयागराज।

--------विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना–करछना, जनपद–प्रयागराज।

1. प्रार्थी फोटो भारतीया द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अनुसूचित जाति पासी का व्यक्ति है तथा उसने दो बीघा जमीन राजेश सिंह से बंटाई पर लिया है, बंटाई पर लेने के कारण उसे अनाज का एक हिस्सा भूस्वामी को देना होता है। दिनांक 22.11.2025 को समय लगभग 11.00 बजे दिन जब उसने किसान को सूचित किया कि वह अपनी पैदा धान को बांट कर ले जाए और जब वह अपने धान की राशि के पास बैठा था तभी क्षेत्र के नामी बदमाश और अपराधी किस्म के व्यक्ति अविनाश पाण्डेय व अमन पाण्डेय अपने हेली–मेली चार अन्य अपराधियों के साथ हाथों में लोहे की रॉड, सरिया और अन्य घातक धारदार हथियारों से लैस होकर आए और उसको वहां खेत में मां–बहन की जातिसूचक भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए यह कहा कि साले पासी हरामी तुम्हें कहा था कि फसल मत काटना तो तूने फसल क्यों काटा, इतना कहकर उसे लात–घूसों से मार कर गिरा दिया तब तक किसान राजेश सिंह भी आ गए, मारने का कारण पूछा तो राजेश सिंह को भी मारने के लिए दौड़ा लिया और कट्टा को हवा में लहराते हुए जान से मार देने का भय दिखा कर वहां पर रखा उसका टोपा, खाली बोरी व धान से भरा लगभग 70 बोरा धान अपने साथ लाये ज्वांडियर ट्रैक्टर में उठा ले गये। प्रार्थी ने 112 नंबर पर फोन किया तो पुलिस आयी तब तक विपक्षीगण सारा सामान लूटकर ले जा चुके थे। मेहनत से उपजायी गयी फसल न मिलने के कारण वह कर्ज में डूब चुका है और आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। विपक्षीगण अनवरत् रूप से उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना करछना में जाकर लिखित तहरीर दिया किन्तु उसके गरीब होने व विपक्षीगण के प्रभाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थी ने दिनांक 18.04.2026 को जरिये पंजीकृत डाक पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना करछना, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, थाना प्रभारी करछना को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.11.2025 तथा श्रीमान् पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 18.04.2026 मय मूल डाक रसीद को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखों में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में अनुसूचित जाति पासी का सदस्य होना बताते हुए विपक्षीगण द्वारा दिनांक 22.11.2025 को समय लगभग 11.00 बजे

दिन फसल काटने को लेकर अपने हेली–मेली चार अन्य लोगों के साथ लोहे की रॉड, सरिया और अन्य घातक हथियारों से लैस होकर उसको मां–बहन की जातिसूचक भद्दी–भद्दी गालियां दिये जाने, जातिसूचक शब्दों साले पासी हरामी का प्रयोग करके अपमानित किये जाने, उसे लात–घूसों से मारने–पीटने और राजेश सिंह द्वारा मारने का कारण पूछने पर उसे भी मारने के लिए दौड़ाने, कट्टा को हवा में लहराते हुए जान से मार देने का भय दिखा कर वहां पर रखा उसका टोपा, खाली बोरी व धान से भरा लगभग 70 बोरा धान ले जाने तथा उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप अभिकथित किया गया है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निम्नलिखित न्याय निर्णयन में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं./173(4)बी.एन.एस.एस. के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

(i) *सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2008 सी.आर.एल. पृष्ठ संख्या–475* में यह अभिनिर्धारित किया है कि "प्रत्येक धारा 156(3) दं. प्र. सं. के प्रार्थनापत्र पर मजिस्ट्रेट द्वारा सदैव पुलिस को मामला दर्ज कर विधिवत विवेचना करने का निर्देश देना आवश्यक नहीं है। मजिस्ट्रेट को रुटीन में धारा 156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थनापत्रों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मजिस्ट्रेट अपने स्वविवेकानुसार धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थनापत्रों को परिवाद के रूप में दर्ज कर स्वयं जांच करने के लिए स्वतंत्र है।"

(ii) *एलिक पदमसी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ए.आई.आर. 2007 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या–684* में यह अभिनिर्धारित किया है कि "यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो पीड़ित व्यक्ति धारा 210 दं.प्र.सं. सपठित धारा 223 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रावधानित उपबन्धों को अपना कर प्रकरण में सक्षम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकता है और मजिस्ट्रेट भी यदि चाहे तो धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर प्रकरण में प्रसंज्ञान ले सकता है।"

(iii) *जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001 सप्लीमेंटरी एसीसी 957 व मुहम्मद यूनुस बनाम श्रीमती आफाक जहॉ व अन्य 2006 (1) एसीआरआर पेज 112 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद)* में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को मजिस्ट्रेट परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को घटना का दिनांक, समय, स्थान तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य देने में समर्थ है, अतः अन्वेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

(i) एतद्द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ii) पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 04.11.2026 को पेश हो। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत हो, प्रार्थी अपेक्षित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

दिनांक– अगस्त 04, 2026

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.08.04 17:08:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court